आदेश व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 225/2023 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

मेहा यादव पत्नी श्री विवके कुमार जाति यादव निवासी WZ 508 थर्ड फ्लोर सी–1, सैनानी टावर, बसई, दारापुर, नई दिल्ली। हाल निवासी फ्लेट प्रथम तल प्लाट नम्बर 273 कटेवा नगर, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर ।

प्रार्थी ऋणी

एच डी एफ सी लि. सी–25 भगवानदास रोड, सेंट जेवीयर स्कूल के सामने, सी–स्कीम जयपुर ।

अप्रार्थी वित्तीय संस्था

रिव्यु प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण संख्या 751/2022 (किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट) व उनवानी एच.डी.एफ.सी. लि. बनाम मनोज कुमार शर्मा, आदेश दिनांक 06.12.2022 को खारिज किये जाने ।

उपस्थित–

1. श्री सम्पत सिंह शेखावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री विनोद कुमार चौहान अधिवक्ता अप्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश दिनांक 07.03.2024

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने इस न्यायालय में धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 751/2022 (किस्म धारा 14 सरफेशी एक्ट) बउनवानी एच.डी.एफ.सी. लि. बनाम मनोज कुमार शर्मा में पारित आदेश दिनांक 06.12.2022 को निरस्त/रिकाल किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी वित्तीय संस्था को नोटिस जारी किया गया। मूल मिसल शामिल की गई। अप्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से वकील श्री विनोद कुमार चौहान ने उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4- प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित प्लाट प्रार्थी ने कृष्ण कुमार को प्रतिफल राशि देकर कब्जा प्राप्त किया गया है, किन्तु कृष्ण कुमार ने उक्त फ्लेट की रजिस्ट्री प्रार्थिया के नाम नहीं कराई । प्रार्थिया ने दिनांक 16.01.2021 को पुलिस थाना श्यामनगर जयपुर में एक अभियोग संख्या 32/2021 अपराध धारा 323, 341, 354, 376 डी, 420, 406, 452 व 120 बी भारतीय दंड संहिता का दर्ज कराया जो जैर तफ्तीश है। उक्त अभियोग दर्ज होने के बाद कृष्ण कुमार शर्मा ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर में एक एस.बी. मिस

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पिटीशन नम्बर 4009/2021 उनवानी कृष्ण कुमार शर्मा व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य प्रस्तुत किया जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर द्वारा सुनवाई करते हुये दिनांक 19.07.2021 को अन्तरिम आदेश पारित किया – Meanwhile, no Coercive action shall be taken against the petitioners. जो दिनांक 10.11.2022 तक यथास्थिति में है। उक्त प्रकरण हाजा के अनुसंधान अधिकारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 27.09.2021 को अभियुक्त कृष्ण कुमार शर्मा के विरूद्व अपराध धारा 376, 420 व 406 भारतीय दण्ड संहिता मे प्रमाणित होना माना है। चूंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ ने उक्त आपराधिक प्रकरण मे यथास्थिति के आदेश पारित होने के कारण मुकामी पुलिस द्वारा अभियुक्त कृष्ण कुमार शर्मा के विरूद्व चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ है। माननीय न्यायालय द्वारा उनवानी प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 06.12.2022 के विरूद्व प्रार्थिया की ओर से रिव्यु याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया की रिव्यु याचिका पर सहानुभूति पूर्वक विचार फरमाते हुये मामले के तथ्यों व परिस्थितियों तथा वर्तमान मे विचाराधीन प्रकरणो एव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 19.07.2021 को मध्दयनजर रखते हुये पारित आदेश दिनांक 06.12.2022 पर रोक लगाते हुये ऋण वसूली के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही को स्थगित फरमाते हुये उक्त सम्पत्ति पर एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. से लिये गये ऋण की अदायगी बाबत माननीय किराया अधिकरण जयपुर महानगर प्रथम जयपुर में वसीयत के आधार पर उपरोक्त फ्लेट का मालिकाना हक श्रीमती राधा शर्मा स्वयं का बताती है तथा उपरोक्त वर्णित वसीयत मे भी उपरोक्त बैंक का ऋण भार 31,00,000/–रूपये जिसका उल्लेख वसीयत में किया हुआ है, के आधार पर एच.डी.एफ.सी. बैंक को बकाया ऋण की राशि की वसूली श्रीमती राधा शर्मा से किये जाने के आदेश फरमाये

5- वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि धारा 14 सरफेशी अधिनियम 2002 के तहत पारित आदेश को रिकाल व रिव्यु किये जाने का क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को हासिल नहीं है। इसके सम्बन्ध में कई न्यायिक दृष्टान्त भी माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित किये गये है। जहां तक श्रीमान के आदेश 06.12.2022 रिकाल किये जाने की कार्यवाही का प्रश्न है तो उक्त सम्बन्ध में प्रार्थी को सरफेशी एक्ट 2002 की धारा 17 के तहत माननीय ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार हासिल है। इसलिए मान्य न्यायालय के समक्ष जो रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। मान्य न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। फलस्वरूप रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

7. अप्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002 के तहत प्रार्थना पत्र के समर्थन शपथ पत्र व अन्य में आवश्यक दस्तावेजात की फोटो प्रति पेश किये जाने पर विधिवत प्रकिया अपनाते हुये धारा 14 सरफेशी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तुलसीदास शर्मा के स्वामित्व की बैंक के पक्ष में बन्धक सम्पत्ति का जरिये सम्बन्धित पुलिस कब्जा प्राप्त किये जाने के आदेश दिनांक 06.12.2022 को पारित किये जा चुके है। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत पारित आदेश में रिव्यू किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऋणी द्वारा जो बिन्दू रिव्यु प्रार्थना पत्र में उठाये गये है, उनको तय किये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। प्रकरण में यदि कोई स्थगन है, तो उसकी पालना सम्बन्धित बैंक द्वारा की जानी है। प्रार्थी के रिव्यु प्रार्थना पत्र पर इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी का रिव्यु/रिकाल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा संबंधित को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. आदेश आज दिनांक 07.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner